

भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3585
दिनांक 13 मार्च, 2026 को उत्तर के लिए

जीरो फूड वाले बच्चे

3585. **श्रीमती बाग मिताली:**

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या भारत में विश्व के सर्वाधिक ज़ीरो फूड वाले बच्चे हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या भारत उन 20 देशों में शामिल है जहाँ गंभीर बाल खाद्य अभाव में रहने वाले बच्चों की कुल संख्या का लगभग दो-तिहाई (65 प्रतिशत) हिस्सा है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या भारत में पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर दूसरे स्थान पर है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और
- (घ) क्या उत्तर प्रदेश में ज़ीरो फूड वाले बच्चों की संख्या सर्वाधिक है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास मंत्री
(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) से (घ): "ज़ीरो फूड वाले बच्चों" की न तो कोई स्वीकृत अवधारणा है और न ही कोई वैज्ञानिक परिभाषा है।

इसके अलावा, सरकार के समग्र दृष्टिकोण के रूप में, भारत सरकार ने देश में खाद्य सुरक्षा और कुपोषण के मुद्दों को उच्च प्राथमिकता दी है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग और स्कूली

शिक्षा एवं साक्षरता विभाग देश में बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सुधार के लिए लगातार लक्षित पहल कर रहे हैं।

देश की लगभग 67% सबसे गरीब आबादी, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) 2013 के तहत मासिक मुफ्त अनाज उपलब्ध कराता है। जनवरी 2026 तक कुल 81.34 करोड़ लाभार्थियों को इसका लाभ मिल चुका है। इस अधिनियम के तहत, अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के अंतर्गत आने वाले परिवारों को प्रति परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम अनाज और प्राथमिकता प्राप्त परिवारों (पीएचएच) को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम अनाज प्राप्त करने का अधिकार है। वर्ष 2025-26 में, एनएफएसए और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत 559.93 लाख मीट्रिक टन अनाज आवंटित किया गया है।

लगभग 14.03 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों के नेटवर्क के माध्यम से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अपने मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के अंतर्गत जीवन चक्र दृष्टिकोण अपनाते हुए 7.1 करोड़ बच्चों (6 माह से 6 वर्ष तक), 1.2 करोड़ गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं और 15 लाख किशोरियों को पूरक पोषण प्रदान करता है ताकि कुपोषण की समस्या को दूर किया जा सके। वर्ष 2025-26 में डब्ल्यूबीएनपी/आईसीडीएस के तहत खाद्यान्न आवंटन 23.63 लाख मीट्रिक टन है।

इसके अलावा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) का उद्देश्य शिशु स्वास्थ्य और बाल पोषण सहित जीवनचक्र दृष्टिकोण अपनाते हुए लोगों की जरूरतों के अनुरूप समान, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखरेख सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना है। साथ ही, भारत भर में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में 1190 से अधिक पोषण पुनर्वास केंद्र (एनआरसी) स्थापित किए गए हैं, जो पांच वर्ष से कम आयु के उन बच्चों, जो मध्यम और गंभीर तीव्र कुपोषण (एमएएम और एसएएम) से पीड़ित हैं, को अस्पताल में भर्ती कराकर चिकित्सा और पोषण संबंधी देखरेख प्रदान करते हैं।
